

184  
 174  
 319  
 14/2/04

श्री अनिल सिन्हा, प्रमाण-पत्र पदाधिकारी, धनबाद का न्यायालय ।

प्रमाणपत्रवाद सं० 259/2000-2001

मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक, सिन्धो ब्रांच

ने श्री पवन कुमार महतो --- पिता पहलू महतो ---

ग्राम बाधमारा --- थाना बलिआपुर --- जिला ---

धनबाद --- से ₹. 108 = 100 रुपये को वसूलो हेतु अध्याचना

पत्र दायर किया है । इसमें संलग्न विवरणों के अवलोकन से स्पष्ट होता है

कि यह मांग वसूलो योग्य है । इसको वसूलो विधि वर्जित नहीं है । लोक

मांग वसूलो अधिनियम को धारा 5 के अंतर्गत में संतुष्ट हैं । इसे पंजी 10

में दर्ज करें। अध्याचो पदाधिकारी ने कोर्ट फीस --- 1089 = 100 ---

रुपये का दाखिल किया है ।

धारा 7 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना  
 जारी करें । अभिलेख दिनांक ..... को प्रस्तुत करें ।

7  
 1.11.20

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी,  
 धनबाद ।

10/3/03

धारा-7 का अधिनियम उपस्थापित ।  
 की समय-सीमा समाप्त । आपत्ति दायर करने

देनदार की अनुपस्थिति से  
 स्पष्ट होता है कि देनदार की मंशा कर्जो राशि  
 जमा करने की नहीं है।

कर्जो राशि की वसुली हेतु  
 देनदार को नोटिस दे।

दिनांक-24-5 को रखा

प्रमाण पत्र